37

III / पुर्नविलोकन / रीवा / भू-रा0 / 2017 / 2719

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

पूर्नविलोकन क्रमांक .... / 2017

5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES | 5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES | 20 रु. कोर्ट फीस COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये Rs.20 TWENTY RUPEES

Rs. 301—

अधि0श्री अरविन्द पाण्डेय द्वारा पेश। 17.8.17

रामविशाल तनय शोभनाथ, उम्र 80 वर्ष, निवासी ग्राम घुरेहटा, तहसील मऊगंज, जिला रीवा (म0प्र0) —–पुर्नविलोकनकर्ता / आवेदक

बनाम

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

1— मुस0 जयरजुआ वेवा रामभुवन,

2— रामबहादुर

3— रामयश

4— हिन्छलाल

5— विष्णू प्रसाद

6— सुरेश प्रसाद

सभी के पिता स्व0 रामभुवन सभी निवासी ग्राम घुरेहटा, तहसील मऊगंज जिला रीवा (म0प्र0)

7— श्यामवती पुत्री रामभुवन पत्नी शेषमणि

8— सूर्यवती पुत्री रामभुवन पत्नी रामभिलाष

9— मानवती पुत्री रामभुवन पत्नी लखनलाल

10— अन्नपूर्णा पुत्री संतोष कुमार

11— मंजू पुत्री संतोष कुमार

सभी निवासी ग्राम घुरेहटा, तहसील मऊगंज, जिला रीवा (म0प्र0)

—–—–गैरपुर्नविलोकनकर्तागण / अनावेदकगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 51 म0प्र0 भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश इस माननीय न्यायालय के प्रकरण क0–1671 / दो / 10 में पारित आदेश दिनांक 24 / 05 / 16

मान्यवर,

पुर्नविलोकन के आधार निम्नलिखित है :–

1— इस माननीय न्यायालय द्वारा जो आदेश दिनांक 24 / 05 / 16 को उक्त उन्मान प्रकरण में पारित किया गया है सर्वथा विधि, विधान

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन/रिव्यु/रीवा/भूरा/2017/2719

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
07–03–18	आवेदक अधिवक्ता श्री अरविन्द पाण्डे उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता ने प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। 2– यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1671–दो/10 में पारित आदेश दिनांक 24.05.16 के विरूद्व प्रस्तुत प्रकरण कमांक तीन/रिव्यु/रीवा/भूरा/2017/2719 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। 3– आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1671–दो/10 में वर्णित है। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 24.05.16 से किया जा चुका है। 4–प्रकरण कमांक तीन/रिव्यु/रीवा/भूरा/2017/2719 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं।	

प्रकरण कमांक तीन/रिव्यु/रीवा/भूरा/2017/2719

उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य